

3256

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3205-औस/2013-116 ए०एस०/96

दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवम् केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषय:- वर्ष 2012-2013 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन ने लेखा वर्ष 2012-2013 के लिए अपने पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को शासन की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :-

1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू० 4800/- तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरिक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू० 13500/- से कम हैं) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने 31 मार्च 2013 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिये एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2013 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आंगणित की जायेगी।
4. दिनांक 31 मार्च 2013 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ 3500/- से ज्यादा होने की स्थिति में रू० 3500/- की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2013 को 30 दिन की परिलब्धियाँ $(3500 \times 30 / 30.4 = 3453.95)$ अर्थात् रू० 3454/- तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होंगी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम

2/-

BONUS

प्राप्त होने तक स्थगित रहना जो दोषमुक्त हान की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2012-2013 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।

6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह राशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह राशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।
8. कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2013 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2013 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ रु० 1200/-प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रु० 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात् रु० 1184 पूर्णांकित होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों रु० 1200/-प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।
9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी०पी०एफ० में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि/सी०पी०एफ० खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2013 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य धनराशि का भुगतान नकद दिया जायेगा।
10. वर्ष 2012-2013 हेतु पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय-व्यय 2013-2014 के नामे डाला जायेगा।
11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर आफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के

..... 3/-

उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2012-2013 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा।

कृपया उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

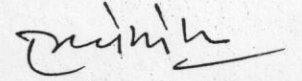
संजय अग्रवाल

अध्यक्ष

संख्या:-3205-(1) औस/2012/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (उ०प्र० उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०) के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा एवं प्रशासन, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
10. कट फाइल।



(राधे मोहन),

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)